मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 09/06/2016

क्रमांक: एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 2-6/2014/अ-ग्यारह, दिनांक 21.07.2014 से जारी योजनाओं में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

(अ) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत बिन्दु 1.1(iii) वित्तीय सहायता के अन्तर्गत निम्नानुसार नवीन कंडिका जोडी जावे:-

"(ख 1) ब्याज अनुदान-महिला उद्यमी हेतु पूंजी लागत पर 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ।"

(ब) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत परिपत्र के बिन्दु 1.2 (iii) (क) मार्जिन मनी सहायता अन्तर्गत कंडिका (ब) को विस्तृत कर निम्नानुसार पैरा जोडा जावे :-

"परियोजना के पूंजीगत लागत पर 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 3.00 लाख) विमुक्त घुम्मक्कड़ एवं अर्द्धघुम्मक्कड़ जनजाति को स्वप्रमाणीकरण के आधार पर पात्रता होगी। (विमुक्त घुम्मक्कड़ एवं अर्द्धघुम्मक्कड़ जनजातियों का अर्थ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 6209-25 (सामा.)- आईके-63 दिनांक 21.09.63 में अधिसूचित अनुसार होगा) "

(स) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को योजना की अन्य पात्रतायें पूर्ण करने पर परियोजना के पूंजीगत लागत पर उपरोक्त के अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1.00 लाख) की पात्रता होगी ।

2. संबंधित विभागों द्वारा विभागीय बजट में उपरोक्त संशोधनों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त प्रावधान किया जावे ।

3. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि वह अतिरिक्त मार्जिनमनी हितग्राही को पृथक से सीधे प्रदान करे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल. कान्ता राव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर भोपाल, दिनांक 09/06/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / स्वरोयो / 5 / (3–ब) / 2014 / 4362-4552 भोपाल, दिनांक 15/06/2016
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
8. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन भोपाल।
9. संभाग आयुक्त, (समस्त), मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल।
11. आयुक्त,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, राजीव गांधी भवन परिसर–2 प्रथम तल, 35 श्यामला हिल्स भोपाल ।
12. आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, द्वितीय तल, शिवाजी नगर, भोपाल।
13. प्रबंध संचालक,म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 74 अरेरा हिल्स, सेंट्रल स्कूल के पास, भोपाल
14. प्रबंध संचालक, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
15. प्रबंध संचालक,म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम मर्यादित, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तृतीय तल, बीज भवन परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल
17. कार्यपालन अधिकारी, माटीकला बोर्ड, चित्तौड़ काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल ।
18. कलेक्टर, (समस्त), मध्यप्रदेश।
19. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
20. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
22. अपर / संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
23. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
24. अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश